न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या 54/12
दायर दिनांक 16.03.2012

निर्णय दिनांक
18.02.2021

उनवान

1. दिनेश कुमार पुत्र मातादीन जाति जाट निवासी धीकाका तहसील कोटकासिम जिला–अलवर(राज0)

–वादी

बनाम

1. हरीसिंह पुत्र शिवलाल जाति जाट निवासी धीकाका तहसील कोटकासिम जिला–अलवर (राज0)

:– असल प्रतिवादी

2. रविदेवी पत्नी दिनेश कुमार जाति जाट निवासी धीकाका तहसील कोटकासिम जिला–अलवर (राज0)

:– तर. प्रतिवादी

दावा इश्तकारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज एवं हुकमइतनाई दवामी अन्तर्गत
धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित– 1. श्री बलराम यादव अभिभाषक वादी
2. श्री रामफल यादव अभिभाषक असल प्रतिवादी
3. श्री भगवान यादव अभिभाषक तर. प्रतिवादी

वादी ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर एक वाद इस आशयक का पेश किया कि आराजी साबिक खसरा संख्या 214 रकबा 0–17 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 229 रकबा 0–17 बिस्वा वाके ग्राम धीकाका तहसील कोटकासिम जिला अलवर स्थित है। विवादित आराजी साबिक खसरा संख्या 214 रकबा 0–17 बिस्वा जिसका खसरा संख्या हाल 229 रकबा 0–17 बिस्वा बना मिन वादी के पिता की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व गैर मौ0 की आराजी थी जो कानून खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये । वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2010 –2014 संलग्न वादपत्र है। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार को कोई सम्बन्ध वो सरोकार नहीं रहा है ना ही प्रतिवादी असल ने विवादित आराजी को कभी काश्त की लेकिन पटवारी हल्का से अपने नाम का गलत अंकन करा लिया जबकि मिन वादी के पिता का नाम सं. 2010–201[illegible] जमाबन्दी मे बतौर गैर मो. व सम्वत् 2014–2019 में बतौर खातेदार दर्ज है लेकिन सम्वत 2023 [illegible] जमा[illegible]यात कसीद करते समय मिन वादी के पिता का नाम राजस्व कर्मचारीयों व अधिकारियों ने शिकमी [illegible]कार गलत दर्ज कर दिया । जबकि विवादित आराजी मिन वादी के पिता कि कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जो सैटिल[illegible] विभाग द्वारा सम्वत् 2029 मे गलत रूप से प्रतिवादी के पिता शिवलाल व [illegible]जू पुत्र माडू को समान भ[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:36:10 IST
Reason: SelfAttested

मे खातेदार दर्ज कर दिया जबकि विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पहले से आजतक मिन वादी के पिता मातादीन व उनकी मृत्यु के बाद आज दिन तक मिन वादी का कब्जा काश्त बस्तूर चलाआ रहा है तथा मौके पर गेंहू की फसल काश्त की हुई है। मिन वादी को जब उक्त गलत इन्द्राज की पटवारी हल्का द्वारापता चला तो प्रतिवादी व छाजूराम को उका इन्द्राज दुरुस्त कराने कोकहा तो छाजूराम ने तो दिनांक 25–2–2004 को मिन वादी के कहने पर मिन वादी की पत्नि के नाम 1/2 भाग का बयनामा करा दिया व असलप्रतिवादी मिन वादी से आज कलसही कराने का आश्वासन देता रहा । लेकिन आज तक बयनामा नहीं कराया । प्रतिवादी द्वारा दिनाक 1/3/12 को मिन वादी को ऐलानिया तौर पर धमकी दी वो गलत इन्द्राज की आड मे विवादित आराजी का बेचान दीगर लोगो को करेगा । जिससे अविलम्ब ही दावा हाजा दायर करना लाजिम आया है। विवादित आराजी पर वादी तर.प्रतिवादी का कब्जा काश्त है वादी व तर0 प्रतिवादी की खातेदारी की आराजी है जिस पर वादीगण शान्तिपूर्वक काबिज व दखिल है तथा काश्त कर रहे है । वादी से पूर्ववादीगण के पिता काश्त करते थे । प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध ना तो पूर्व में था और ना ही अब है। लेकिन उक्त आराजी के राजस्व रिकोर्ड में राजस्व कर्मचारियो द्वारा गलती से असल प्रतिवादी व उसके पिता का नाम खिलाफ मौका व खिलाफ कानून राजस्व राजस्व अधिकारीयो व कर्मचारियो ने गलत अंकन दर्ज कर दिया । जिनको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही था। विवादित आराजी पर वादी तर.प्रतिवादी का कब्जा काश्त है वादी व तर प्रतिवादी की खातेदारी की आराजी है जिस पर वादीगण शान्तिपूर्वक काबिज व दखिल है तथा काश्त कर रहे है । वादी से पूर्व वादीगण के पिता काश्त करते थे । प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध ना तो पूर्व में था और ना ही अब है। लेकिन प्रतिवादी उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर मिन वादी व तर प्रति. को ऐलानिया तौर पर धमकीदी है कि वो गलत इन्द्राज के आधार पर विवादित आराजी का बेचान दीगर लोगो को करेगा यदि प्रतिवादी अपने नापाक इरादो में कामयाब होगया तो वादी व तर. प्रतिवादी को अजहद हानि होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रूपयों में नहीं आंकी जा सकेगी इसलिये असल प्रतिवादी को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि वो विवादित आराजी को किसी दीगर सख्स को रहन , बैय, हिबा, लीज इत्यादि से मुन्तकिल ना करे , ना ही वादी व तर. प्रतिवादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत। पैदा करे।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादी बर खिलाफ असल प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे –

(अ)– डिकी इश्तकाराहक बहक वादी विरुद्ध असल प्रतिवादीगण इसअमर पारित की जावे कि आराजी खसरा संख्या हाल 229 रकबा 0.22 है0 वाके के 1/2 भाग वाके ग्राम घीकाका तहसील कोटकासिम का वादी काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जावे।

(ब)– डिकी इन्द्राज दुरूस्ती बहक वादी विरूद्ध असल प्रतिवादी इस अमर की पारित की जावे कि साबिक खसरा संख्या 214 रकबा 0–17 बिस्वा जिसका हाल खसरा संख्या 229 रकबा 0.22 है0. वाके के 1/2 भाग वाके ग्राम घीकाका तहसील कोटकासिम जिला अलवर मे सम्वत् 2023 से ताहाल की जमाबन्दियात में जो गलत प्रतिवादी असल व उसके पिता का आ रहा है उसे हजफ किया जाकर कलमजन किया जाकर हटाया जावे व उसके स्थान पर [illegible] खातेदार अंकन कियाजावे ।

(स)– डिकी हुक्मइम्तनाई दवामी वो विवादित आराज[illegible]सरा संख्या 229 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम घीकाका तहसील कोटकासिम जिला अल[illegible] बैय , हिबा लीज इत्यादि से मुन्तकिल ना करे , ना ही वादी व तर प्रतिवा[illegible] की मजाहमत व मदाखलत पैदा करे।

(द)– खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:36:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया कि वास्तविकता यहै कि साबिक खसरा नम्बर 214/0–17 बीघा के असल खातेदार काश्तकार छाजू पुत्र माडू व शिवलाल पुत्र बल्ला संभाग में थें। इस आराजी पर प्रतिवादी संख्या–1 बतौर खातेदार खातेदार काश्तकार अपने 1/2 भाग पर काबिज काश्त हैं। यह आराजी कभी भी। गैर मौरूसी नही रही। प्रतिवादी संख्या–1 के पिता शिवलालजी इस आराजी पर 1/2 भाग में काबिज बतौर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार रहे हैं ओर ये आराजी प्रतिवादी संख्या–1 को विरासत में प्राप्त हुई है।

जमांबंदी सम्वत 2010 से 2014 वो जमाबंदी सम्वत 2014 से 2019 मात्र काश्त वादी के पिता के नाम दर्ज है जो कि कानूनी कोई मायने नहीं रखती क्योंकि वादी का पिता पटवारी के पास रहता था और तत्कालीन पटवारी से साज–बाज होकर ये गलत इन्द्राज करा लिया जैसा कि सम्वत 2029 की जमाबंदी में नाम हजफ वादी के पिता का कर दिया गया सही किया गया है जैसा कि अपने आप मे ही यह स्पष्ट है कि दि. 25/2/2004 को 1/2 भाग जो कि छाजूराम का था और उनसे वादी की पत्नी जो इस वाद में तरतीबी प्रतिवादिया संख्या–2 है उसके नाम बयनामा कराया यदि कही वादी के पिता की आराजी होती तो निश्चित रूप से सम्पूर्ण आराजी पर इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज का वाद पेश करता। जबकि बैयनामा प्रतिफल की राशि देकर कराया है अब वादी के मन मे बदनियती है कि शेष 1/2 भाग जो प्रतिवादी संख्या–1 का है उसको हडप कर सकूॅ। वादी ने वादपत्र शुद्धहस्त होकर पेश नहीं किया है। इसलिये वादी का वादपत्र का काबिल खारिज है ,खारिज फरमाया जाये।

यह है कि वादपत्र का जिमन नं.4 गलत है, अस्वीकार है। सैटलमेन्ट विभाग द्वारा जमाबंदी सम्वंत 2029 में प्रतिवादी सं.–1 के पिता व छाजू पुत्र माडू को समान भाग मे खातेदार सही दर्ज किया वादी के पिता आराजी मुतदाविया में व वादी का कीभी भी कब्जा काश्त नही रहा है बल्की दिनांक 25/2/2004 के बाद आराजी मुतदाविया के 1/2 भाग पर ही जो बैयनामा तरतीबी प्रतिवादिया संख्या–2 के नाम हुआ है मात्र उसी पर वादी का कब्जा व तरतीबी प्रतिवादी का कब्जा है। शेष 1/2 भाग पर मिन प्रतिवादी सं0–1 का कब्जा काश्त है। वादी गलत तरीके से वाद पेश कर मिन प्रतिवादी सं–1 की 1/2 भाग की आराजी को हडप करने के लिये ही किया है जो वादपत्र वादी काबिल खारिज है, खारिज फरमाया जावे।

वाद पत्र का जिमन नं. 5 गलत है, अस्वीकार है। दिनांक 25.02.2014 को छाजूराम से आराजी मुतदाविया के 1/2 भाग का सौदा करके बैयनामा तरतीबी प्रतिवादिया सं. 2 के नाम कराया गया है। 1/2 भाग पर प्रतिवादी सं. 1 बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है मौके पर काश्त की हुई है। वादी ने वाद शुदहस्त होकर पेश नही किया और वादी का वाद अवधि बाहर है। इसलिये काबिल खारिज है, खारिज किया जावे।

वादपत्र का जिमन नं. 6 गलत है, अस्वीकार है। वास्तविकता यह है कि आराजी मुतदाविया पर 1/2 भाग में प्रतिवादी सं. 1 बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है। राजस्व कर्मचारीगण द्वारा सम्वत 2029 में अंकन सही किया गया है जो आज तक सही चला आ रहा है। प्रतिवादी सं. 1 अपने 1/2 भाग पर शांतिपूर्वक काविज काश्त हैं। ऐसी सूरत में वादी किसी भी रूप ... इस्तमाइदवामी से पाबंद करवाने का अधिकारी नही है। इसलिये वादी का वाद काबिल खारिज है। खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:36:10 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादी असल ने दिनांक 03.01.2020 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो तसदीक किया जाकर सामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा के तथ्य इस प्रेकार है कि आराजी खसरा नम्बर 229 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम घीकाका के 1/2 भाग पर प्रतिवादी का पिता व

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

प्रतिवादी का कभी भी काबिज काश्त नही रहा है और ना अब है। उक्त विवादित आराजी के 1/2 भाग पर वादी ही काबिज काश्त है और मौके पर वादी का 1/2 भाग पर वास्तविक कब्जा काश्त है। जमाबंदी सम्वत 2023 से ता हाल ही जमाबंदीयात में प्रतिवादी के पिता का व प्रतिवादी का गलत अमल हो रहा है। इसलिये उक्त विवादित आराजी के 1/2 भाग से प्रतिवादी के पिता व प्रतिवादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन कर वादी को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कर उसके नाम राजस्व रिकॉर्डस में अमल कर दिया जावे। प्रतिवादी को कोई आपत्ती नही है। यह राजीनामा दोनो पक्षो ने अपनी–अपनी सहमति से बिना किसी दबाव के प्रसन्न चित्त अवस्था मे किया है किसी के बहकावे में नही किया है। इसी राजीनामा के आधार पर ही वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ती नही है।

विद्वांन अधिवक्ता वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वांन अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपने द्वारा पेश किये गये राजीनामा के मुताबिक वाद को डिक्री किये जाने पर सहमति प्रकट की। विद्वांन अधिवक्ता ने कहा कि विवादित आराजी से प्रतिवादी असल का कोई लेना देना नही है। सम्वत 2010–14 की जमाबंदी में बतौर गैरमौरूसी व जमबंदी सम्वत 2014–19 में बतौर खातेदार दर्ज है लेकिन सम्वत 2023 की जमाबंदी में मिन वादी के पिता का नाम सिकमी काश्तकार गलत दर्ज कर दिया। जबकि विवादित आराजी मिन वादी के पिता की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। प्रतिवादी असल को गलत इन्द्राज की जानकारी दी तब प्रतिवादी असल ने वादी के पक्ष में लिखित राजीनामा पेश किया। राजीनामा में अंकित किया कि विवादित आराजी के 1/2 भाग से प्रतिवादी का कोई लेना देना नही है। मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री कर दिया जावे तो प्रतिवादी को कोई आपत्ती नही है।

विद्वांन अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। राजीनामा दिनांक 03.01.2020 का अवलोकन किया। जिसमें अंकित है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 229 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम घीकाका के 1/2 भाग पर प्रतिवादी का पिता व प्रतिवादी कभी भी काबिज काश्त नही रहा है और ना अब है। उक्त विवादित आराजी के 1/2 भाग पर वादी ही काबिज काश्त है और मौके पर वादी का 1/2 भाग पर वास्तविक कब्जा काश्त है। जमाबंदी सम्वत 2023 से ता हाल की जमाबंदीयात में प्रतिवादी के पिता का व प्रतिवादी का गलत अमल हो रहा है। इसलिये उक्त विवादित आराजी के 1/2 भाग से प्रतिवादी के पिता व प्रतिवादी का नाम राजस्व रिकोर्ड से कलमजन कर वादी के 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कर उसके नाम राजस्व रिकोर्डस मे अमल कर दिया जावे। प्रतिवादी को कोई आपत्ती नही है। विद्वांन अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली में अंकित दस्तावेजाता से हम सहमत है।

अतः वादी का वाद मुताबिक राजीनामा इस कदर डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 229 रकबा 0.22 हैक्टेयर वाके ग्राम घीकाका में वादी को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकातर घोषित किया जाता है। विवादित आराजी के 1/2 भाग से प्रतिवादी का नाम हजफ कर राजस्व रिकोर्ड में वादी के नाम का अंकन किया जावे। इसी अनुसार अमल दरामद हो तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:36:10 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 18.2.21 को खुले इजलास सुनाया गया ।

गंगाधर मीणा (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)